फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सुन्दर लाल बनाम सरस्वती देवी व ग्रा0पं0 लालगढ जाटान

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 49/2016

Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
27–09–16	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं परिस्थिति पर विचार करते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। निगरानी में मियाद के बिन्दू को सुरक्षित रखते हुए निगरानी दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22–11–16 को पेश हो। [signature]	N.J. छोटीमल 2466 7.10.16
22.11.16	निगरानीकर्ता के Adv. उप० । अप्रार्थीगण के नोटिस बाद या अदम तामील वापिस प्राप्त नहीं हुए हैं। रेकार्ड तलब करें। पत्रावली इंतजार तामील में दिनांक 9-1-17 को पेश हो। [signature]	
9.01.17	नि० कर्त्ता के अधिवक्ता उप०। अप्रार्थी सं. 01 व 02 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 16.02.17 को पेश हो। [signature]	109 9.01.17
16.02.17	नि० कर्त्ता के अधिवक्ता उपस्थित। रिकॉर्ड अप्राप्त, पुनः तलब करें। पत्रावली दिनांक 23.03.17 को पेश हो। पुनश्चय:- इतना लिखने पर अप्रार्थी सं. 01 की ओर से श्री सुल्तान सिंह बुडानिया Adv. ने वकालतनामा पेश किया शा० शामिल हो। पत्रावली दिनांक 23.03.17 को पेश हो। [signature]	
23.03.17	अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित। सचिव, लालगढ जाटान ने पत्रावली से सम्बन्धित पट्टा रजिस्टर व रसीद बुक उपलब्ध करवाई - शा० शामिल की गई। शेष रिकॉर्ड N.P - 31/2016 में शा० होना बताया है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27.03.17 को ...	

Scanned by CamScanner

Diary No. | Continuation Note Sheet | Gen. No.

19/7/18 पीठासीन अधिकारी अवकाश ... पर ... कार्य में व्यस्त है। ... पत्रावली दिनांक 13/9/18 को पेश हो।

13.09.2018

निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी अपील को निगरानीकर्ता आगे नही चलाना चाहते है। इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने निगरानी प्रकरण को प्रार्थी इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण, हस्तगत निगरानी नोटप्रैस में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धिंत ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner